"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/24/2010/वाक/पांच (45).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2009 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अत: छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 31 मई, 2010 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 30 जून, 2010 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक एफ-10/24/2010/वाक/पांच (45).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2010/वाक/पांच (45), दिनांक 31-05-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 31st May 2010

NOTIFICATION

No. F-10/24/2010/CT/V (45).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2009 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government, hereby, extends up to 30th June, 2010, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by 31st May, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/31/2010/वाक/पांच (44).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

(1) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत विहित प्ररूप-17 के अनुक्रमांक 4 के स्थान पर निम्नानुसार

अनुक्रमांक 4 प्रतिस्थापित किया जाय—

4. कर योग्य विक्रय राशि—

क्र.	कर योग्य विक्रय राशि	कर की दर	कर की राशि
1		1%	
2		2%	
3		4%	
4		5%	
5		14%	
6		25%	
		योग :	

(2) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत विहित प्ररूप-17 के अनुक्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार अनुक्रमांक 10 प्रतिस्थापित किया जाय—

10. आगत कर की गणना—

	स्कन्ध पर [धारा 73/ धारा 13 (1)]	पूंजीगत माल पर	पूंजीगत माल को छोड़कर शेष माल पर	योग
(क) विगत तिमाही/वर्ष से लाया गया शेष आगत कर				
(ख) तिमाही में क्रय किए गए माल पर (क्रय बीजकों में पृथक से दर्शाई गई कर राशि पर) :—				
(एक) 1% दर से				
(दो) 2% दर से				
(तीन) 4% दर से				
(चार) 5% दर से				
(पांच) 10% दर से				
(छः) 14% दर से				
योग :				
कुल योग (क+ख)				

(3) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विहित प्ररूप-18 के अनुक्रमांक 4 के स्थान पर निम्नानुसार अनुक्रमांक 4 प्रतिस्थापित किया जाय—

4. कर योग्य विक्रय राशि—

क्र.	कर योग्य विक्रय राशि	कर की दर	कर की राशि
1		1%	
2		2%	
3		4%	
4		5%	
5		14%	
6		25%	
		योग :	

(4) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विहित प्ररूप-18 के अनुक्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार अनुक्रमांक 10 प्रतिस्थापित किया जाय—

10. आगत कर की गणना—

	स्कन्ध पर [धारा 73/ धारा 13 (1)]	पूंजीगत माल पर	पूंजीगत माल को छोड़कर शेष माल पर	योग
(क) गत वर्ष से लाया गया शेष आगत कर.				
(ख) वर्ष में क्रय किए गए माल पर (क्रय बीजकों में पृथक से दर्शाई गई कर राशि. पर) :—				
(एक) 1% दर से				
(दो) 2% दर से				
(तीन) 4% दर से				
(चार) 5% दर से				
(पांच) 10% दर से				
(छ:) 14% दर से				
योग :				
कुल योग (क+ख)				

(5) नियम 32 के उपनियम (1) के अंतर्गत विहित प्ररूप-30 के अनुक्रमांक 4 के स्थान पर निम्नानुसार अनुक्रमांक 4 प्रतिस्थापित किया जाय—

4. कर योग्य विक्रय राशि—

दर अनुसार विभाजन :—

क्रमांक	कर की दर	कर योग्य विक्रय राशि	कर की राशि
1	1%		
2	4%		
3	5%		
4	14%		
5	25%		
		योग :	

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक एफ-10/31/2010/वाक/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/31/2010/वाक/पांच (44), दिनांक 31-05-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 31st May 2010

NOTIFICATION

No. F-10/31/2010/CT/V (44).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

(1) For the S. No. 4 of FORM-17 prescribed under clause (a) of sub-rule (2) of rule 20, the following

S. No. 4 shall be substituted :—

4. Taxable Turnover—

S. No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1		1%	
2		2%	
3		4%	
4		5%	
5		14%	
6		25%	
		Total :	

(2) For the S. No. 10 of FORM-17 prescribed under clause (a) of sub-rule (2) of rule 20, the following S. No. 10 shall be substituted :—

10. Computation of input tax rebate—

	On stock u/s 73, u/s 13 (1)	On Capital goods	On goods other than capital goods	Total
(a) Balance input tax rebate brought forward from last quarter/year				
(b) On goods purchased within the quarter (On tax amount shown separately in purchase bills)—				
(i) @ 1% --				
(ii) @ 2% --				
(iii) @ 4% --				
(iv) @ 5% --				
(v) @ 10% --				
(vi) @ 14% --				
Total :				
Gross Total (a+b) :				

(3) For the S. No. 4 of FORM-18 prescribed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, the following S. No. 4 shall be substituted :—

4. Taxable Turnover—

S. No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1		1%	
2		2%	
3		4%	
4		5%	
5		14%	
6		25%	
		Total :	

(4) For the S. No. 10 of FORM-18 prescribed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, the following S. No. 10 shall be substituted :—

10. Computation of input tax rebate—

	On stock u/s 73, u/s 13 (1)	On Capital goods	On goods other than capital goods	Total
(a) Balance input tax rebate brought forward from the last year				
(b) On goods purchased within year (On tax amount shown separately in purchase bills)—				
(i) @ 1% --				
(ii) @ 2% --				
(iii) @ 4% --				
(iv) @ 5% --				
(v) @ 10% --				
(vi) @ 14% --				
Total :				
Gross Total (a+b) :				

(5) For the S. No. 4 of FORM-30 prescribed under sub-rule (1) of rule 32, the following S. No. 4 shall be substituted :—

4. Taxable Turnover—

Rate wise breakup—

S. No.	Rate of Tax	Determined Taxable Turnover	Tax Amount
1	1%		
2	4%		
3	5%		
4	14%		
5	25%		
	Total :		

2. This amendment shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.